विधान सभा सचिवालय
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश विधान सभा में दिनांक 10 दिसम्बर, 2014

को पुर:स्थापित किये गये रूप में .

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २८ सन् २०१४

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१४ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का सं. २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए. **मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.**

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, प्रथम परन्तुक में, शब्द ''अनुसूची में समाविष्ट अपवादों के अध्यधीन रहते हुए'' का लोप किया जाए. **धारा ३ का संशोधन.**

४. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:— **अनुसूची १-क का स्थापन.**

''अनुसूची १-क

लिखतों पर स्टाम्प शुल्क

(धारा ३ देखिए)

	लिखतों का वर्णन (१)	उचित स्टाम्प शुल्क (२)
१.	**अभिस्वीकृति** किसी ऋण की रकम या मूल्य में पांच सौ रुपये से अधिक की जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से किसी बही में (जो बैंककार की पासबुक से भिन्न है) या किसी पृथक् कागज के टुकड़े पर, लिखी जाय या हस्ताक्षरित की जाए, जबकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया हो.	दस रुपये.
२.	**अभिस्वीकृति** किसी ऐसे अन्य विलेख के लेखे प्रतिफल के भुगतान की प्राप्ति की, जिसे पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किया गया है.	पांच हजार रुपए.
३.	**प्रशासन बंधपत्र**, जिसके अन्तर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ (१९२५ का ३९) की धारा २९१, ३७५ और ३७६ तथा गवर्मेंट सेविंग्स बैंक एक्ट, १८७३ (१८७३ का ५) की धारा ६ के अधीन दिया गया बंधपत्र है.	वही शुल्क जो ऐसी रकम के लिये बंधपत्र (क्र. १४) पर लगता है.
४.	**दत्तक विलेख**, अर्थात् कोई लिखत (वसीयत से भिन्न) जो दत्तक-ग्रहण के अभिलेख स्वरूप है या दत्तक-ग्रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है.	दो हजार रुपये.

(१)	(२)
५. **शपथ-पत्र** अर्थात् लिखित में किया गया कोई कथन जो तथ्यों के कथन के लिये तात्पर्यित है जो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है और जिसकी पुष्टि उसके द्वारा शपथ पर या उन व्यक्तियों के मामले में जिन्हें विधि द्वारा घोषणा करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, प्रतिज्ञान द्वारा की गई है.	पचास रुपये.
६. करार या करार का ज्ञापन—	
(क) यदि वह विनिमय-पत्र के विक्रय से संबंधित है;	प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.
(ख) (एक) यदि वह सरकारी प्रतिभूति के क्रय या विक्रय से संबंधित है;	अधिकतम पांच हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, प्रतिभूति के यथास्थिति, क्रय या विक्रय के समय उसके मूल्य के प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.
(दो) यदि वह किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयर, स्क्रिप, बंध-पत्र, डिबेन्चर, डिबेन्चर-स्टाक या इसी प्रकार की विपण्य प्रतिभूति के क्रय या विक्रय से संबंधित है.	अपरिदान आधारित संव्यवहारों के मामले में, यथास्थिति, उनके क्रय या विक्रय के समय प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिए दो रुपये; तथा परिदान आधारित संव्यवहारों के मामले में प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.
(ग) यदि वह किसी विनिर्माता या किसी कारबार, व्यवहार ज्ञान, ब्रांड नाम, व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) या इसी प्रकार के किसी अन्य कारबार के स्वामी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे विनिर्माता या कारबार के स्वामी के व्यवहार ज्ञान, ब्रांड नाम व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) आदि का उपयोग करते हुए कारबार या अन्य क्रियाकलाप करने की दी गई अनुज्ञा से संबंधित है, अर्थात् फ्रेंचाईज का करार है.	दस हजार रुपए.
(घ) यदि वह भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उस भूमि के विकास एवं /अथवा उस पर भवन के निर्माण से संबंधित है—	
(एक) यदि उसमें यह अनुबंध हो कि विकास के पश्चात् ऐसी विकसित सम्पत्ति या उसका भाग विकासकर्ता, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, स्वामी/पट्टेदार के साथ या तो पृथकतः या तो संयुक्ततः धारित/विक्रय किया जाएगा—	वही शुल्क, जो प्रस्तावित विकसित किये जाने के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि के केवल उस भाग के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक २५) पर लगता है जो विकासकर्ता द्वारा संयुक्ततः या पृथकतः धारित/विक्रीत की जाने वाली विकसित सम्पत्ति के अनुपात में हो, या उस शुल्क का आधा जो विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक २५) पर लगता है, इनमें से जो भी अधिक हो.
(दो) उपरोक्त (एक) के अंतर्गत न आने वाले मामलों के लिए.	न्यूनतम एक हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, विकास के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि के बाजार मूल्य का ०.२५ प्रतिशत.

(१)	(२)
स्पष्टीकरण.—इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए—	
(एक) 'विकास' एवं 'विकासकर्ता' का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की धारा २ (च) एवं मध्यप्रदेश स्पेशल प्रोजेक्ट एण्ड टाउनशिप, (विकास, विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, २०११ के नियम २(१)(ख) में क्रमशः उनके लिए दिया गया है.	
(दो) जहां सम्पत्ति संयुक्तः धारित/बिक्रीत की जाती हो, परन्तु दस्तावेज में विकासकर्ता का अंश अभिव्यक्त रूप से उल्लिखित न हो, वहां विकासकर्ता का अंश १०० प्रतिशत समझा जाएगा.	
(ङ) यदि वह स्थावर संपत्ति के विक्रय से संबंधित है—	
(एक) जब संपत्ति का कब्जा हस्तांतरण-पत्र निष्पादित किए बिना परिदत्त किया जाता है या परिदत्त किए जाने का करार किया जाता है;	वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
(दो) जब संपत्ति का कब्जा नहीं दिया जाता है;	एक हजार रुपए.
(च) यदि वह स्थावर संपत्ति के भाड़ा-क्रय से संबंधित हो;	वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है
(छ) यदि किसी उधार या ऋण के पुनर्भुगतान को प्रतिभूत करने से संबंधित हो;	अधिकतम पांच लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए, उधार या ऋण की रकम का ०.२५ प्रतिशत.
(ज) यदि अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया हो.	पांच सौ रुपए.
७. **हक-विलेखों के निक्षेप, पण्यम, गिरवी या आड़मान** से संबंधित करार अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित करार को साक्ष्यित करने वाली कोई लिखत—	
(क) ऐसे हक-विलेखों या लिखतों का निक्षेप जिससे किसी संपत्ति पर (विपण्य प्रतिभूति से भिन्न) हक का साक्ष्य हो जाता है, जहां कि ऐसा निक्षेप, उधार में अग्रिम दिये गये या दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में किया गया है;	अधिकतम पांच लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम का ०.२५ प्रतिशत.
(ख) जंगम संपत्ति का पण्यम, गिरवी या आड़मान, जहां ऐसा पण्यम, गिरवी या आड़मान उधार में अग्रिम दिये गये या दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में किया गया है.	अधिकतम पांच लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए, उधार या ऋण की रकम का ०.२५ प्रतिशत.

(१)	(२)
स्पष्टीकरण-एक—उधार में अग्रिम दिए गए या दिए जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए हक-विलेखों के निक्षेप अथवा पण्यम, गिरवी या आड़मान की उच्चतर रकम की प्रतिभूति से संबंधित लिखत पर केवल अतिरिक्त रकम पर शुल्क प्रभार्य होगा, यदि पूर्व लिखत पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क चुका दिया गया है.	
स्पष्टीकरण-दो.—इस अनुच्छेद के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश में या किसी प्राधिकारी के आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हक-विलेखों के निक्षेप से संबंधित किसी पत्र, टिप्पण, ज्ञापन या लेख को चाहे वह हक-विलेखों के निक्षेप किये जाने के पूर्व या ऐसे निक्षेप के समय या उसके पश्चात् लिखा गया है या बनाया गया है, और चाहे वह प्रथम उधार के लिए या बाद में लिये गये किसी अतिरिक्त उधार या उधारों के लिए प्रतिभूति के संबंध में हो, ऐसे पत्र, टिप्पण, ज्ञापन या लेख को ऐसे हक-विलेखों के निक्षेप से संबंधित किसी पृथक् करार या करार के ज्ञापन के अभाव में, हक-विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार को साक्ष्यित करने वाली, लिखत समझा जायेगा.	
८. **मुख्तारनामा के निष्पादन** में, न्यासियों का नियुक्त किया जाना या जंगम या स्थावर संपत्ति पर नियोजन, जहां वह ऐसी लिखत में जो वसीयत न हो, किया गया हो;	पांच सौ रुपये.
९. **आंकना या मूल्यांकन**, जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश के अधीन न किया जाकर अन्यथा किया गया है.	पांच सौ रुपये.
१०. **शिक्षुता विलेख**, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा लेख है, जो किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक की सेवा या अध्यापन से संबंधित है जो किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिये रखा गया है;	दो सौ रुपये.
११. **कम्पनी के अनुच्छेद**—	
(क) जहां कम्पनी के पास अंशपूजी (शेयर केपीटल) नहीं है;	पांच हजार रुपये.
(ख) जहां कंपनी के पास अभिहित अंशपूंजी है या अंश पूंजी बढ़ाई गई है;	न्यूनतम पांच हजार रुपए तथा अधिकतम पच्चीस लाख रुपए के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी अभिहित या बढ़ाई गई अंशपूंजी का ०.१५ प्रतिशत.
१२. **पंचाट,** अर्थात् वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किये गये किसी निर्देश में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चय जो वर्तमान या भविष्य	पंचाट की रकम या पंचाट से संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य का, इनमें से जो भी अधिक हो, २ प्रतिशत.

	(१)	(२)
	के मतभेदों को माध्यस्थम को प्रस्तुत करने के लिए लिखत करार के फलस्वरूप किया गया पंचाट है तथा जो विभाजन का निदेश देने वाला पंचाट नहीं है;	
१३.	बैंक प्रत्याभूति, किसी बैंक द्वारा संविदा के सम्यक् अनुपालन या दायित्व के सम्यक् निर्वहन को प्रतिभूत करने के लिए प्रतिभू के रूप में निष्पादित प्रत्याभूति विलेख.	अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, रकम का ०.२५ प्रतिशत.
१४.	**बंधपत्र**, जो डिबेंचर नहीं है तथा जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का ७) द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है;	(क) न्यूनतम पांच सौ रुपए के अध्यधीन रहते हुए, प्रतिभूत रकम या मूल्य का ०.५ प्रतिशत. (ख) जहां मूल्यांकन संभव नहीं है, वहां पांच सौ रुपए.
१५.	**पोत बंधपत्र**, अर्थात् कोई लिखत जिसके द्वारा समुद्रगामी पोत का मास्टर पोत की प्रतिभूति पर धन उधार लेता है जिससे वह पोत का परिरक्षण करने में तथा उसकी समुद्र-यात्रा को अग्रसर करने में समर्थ हो सके.	वही शुल्क जो उतनी ही रकम के बंधपत्र (क्र. १४) पर लगता है.
१६.	पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किसी दस्तावेज को रद्द करने की लिखत यदि वह अनुप्रमाणित है और उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है. **स्पष्टीकरण-एक**—यदि मूल लिखत पर स्टाम्प शुल्क मूल्य के आधार पर भुगतान किया गया हो, तो रद्द करने की लिखत पर शुल्क मूल लिखत के अनुसार प्रभार्य होगा. **स्पष्टीकरण-दो**—यदि मूल लिखत पर स्टाम्प शुल्क बाजार मूल्य के आधार पर भुगतान किया गया हो, तो रद्द करने की लिखत पर शुल्क प्रचलित बाजार मूल्य पर मूल लिखत के अनुसार प्रभार्य होगा.	पांच सौ रुपए
१७.	मध्यप्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद् (बार काउंसिल) द्वारा, अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २५) की धारा २२ के अधीन जारी किया गया नामांकन प्रमाण-पत्र.	एक हजार रुपए.
१८.	नोटरी अधिनियम, १९५२ (१९५२ का ५३) की धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र या उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन ऐसे प्रमाण-पत्र के नवीकरण का पृष्ठांकन.	दो हजार रुपए.
१९.	ऐसी प्रत्येक संपत्ति के बारे में, जो अलग लाट में नीलाम पर चढ़ाई गई है और बेची गई है, का विक्रय प्रमाण-पत्र, जो लोक नीलाम द्वारा बेची गई संपत्ति के क्रेता को किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा दिया गया है.	वही शुल्क जो केवल क्रय धन की रकम के लिए हस्तांतरण पत्र (क्र. २५) पर लगता है.

(१)	(२)
२०. **प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज** जो उसके धारक के किसी अन्य व्यक्ति की किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के या उसके किन्हीं शेयरों, स्क्रिप या स्टॉक संबंधी अधिकार या हक को या किसी ऐसी कम्पनी या निकाय में के या उसके शेयरों, स्क्रिप या स्टॉक का स्वत्वधारी होने संबंधी अधिकार या हक को साक्ष्यित करता है.	शेयरों, स्क्रिप या स्टाक के मूल्य के प्रत्येक एक हजार रुपए या उसके भाग के लिए एक रूपया.
२१. भाड़े पर पोत लेने की संविदा, अर्थात् (कर्षवाप नौका के भाड़े संबंधी करार के सिवाय) कोई लिखत, जिसके द्वारा कोई जलयान या उसका कोई विनिर्दिष्ट प्रमुख भाग भाड़े की संविदा करने वाले के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिया जाता है, चाहे उस लिखत में शास्ति खण्ड हो या न हो.	एक सौ रुपए.
२२. **समाशोधन सूची**—	
(क) यदि वह किसी स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों से संबंधित है;	अधिकतम पांच हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी सूची की प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में प्रतिभूतियों के उस मूल्य पर जो यथास्थिति, मिलान (Making-up) कीमत या संविदा कीमत पर संगणित की गई है, के प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.
(ख) यदि वह किसी स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत किसी निगमित कंपनी या निगमित निकाय में के शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक या इसी प्रकार की अन्य विपण्य प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों से संबंधित है.	अपरिदान आधारित संव्यवहारों के मामले में यथास्थिति, उनके क्रय या विक्रय के समय प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिए दो रुपये; तथा परिदान आधारित संव्यवहारों के मामले में प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.
२३. **प्रशमन विलेख,** अर्थात् किसी ऋणी द्वारा निष्पादित कोई लिखत जिसके द्वारा वह अपने लेनदारों के फायदे के लिए अपनी संपत्ति हस्तांतरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रशमन-धन या लाभांश का संदाय लेनदारों को प्रतिभूत किया जाता है या जिसके द्वारा लेनदारों द्वारा नाम-निर्दिष्ट निरीक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन या अनुज्ञा-पत्रों के अधीन ऋणी के कारबार को उसके लेनदारों के फायदे के लिए चालू रखने के लिए उपबंध किया जाता है.	दो हजार पांच सौ रुपये.
२४. किसी प्रतिफल के बिना **सहमति विलेख** जो पूर्व में रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले किसी दस्तावेज का भाग बन गया है.	एक हजार रुपये.
२५. **हस्तांतरण-पत्र**, जो ऐसे अंतरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे क्रमांक ६१ के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है.	उस संपत्ति के जो कि हस्तांतरण-पत्र की विषय वस्तु है, बाजार मूल्य या उसमें उपवर्णित प्रतिफल की रकम का, इनमें से जो भी अधिक हो, का पांच प्रतिशत. परन्तु—
स्पष्टीकरणः—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये किसी संपत्ति का, जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किसी हस्तान्तरण पत्र की विषय-वस्तु है, बाजार मूल्य वह मूल्य होगा जो लिखत में दर्शाया गया है.	(क) जहां कोई लिखत कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा २३२ एवं २३४ के अधीन अधिकरण/न्यायालय के आदेशों के अधीन या बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का १०) की धारा ४४-क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों के अधीन कंपनियों के विलीनीकरण या समामेलन से संबंधित हो, वहां प्रभार्य शुल्क, उस अंतरित स्थावर संपत्ति, जो कि

(१)	(२)
	मध्यप्रदेश राज्य के भीतर स्थित है, के बाजार मूल्य के ५ प्रतिशत के बराबर रकम या ऐसे अंतरण के विनिमय में या अन्यथा जारी या आवंटित शेयरों के बाजार मूल्य तथा ऐसे अंतरण के लिए संदत्त प्रतिफल की रकम के योग का ०.५ प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगा; (ख) जब कोई लिखत किसी ऋण के समनुदेशन से संबंधित हो, शुल्क की दर समनुदेशित ऋण की रकम का ०.२५ प्रतिशत होगी; (ग) जहां किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के लिए करार किसी हस्तांतरण-पत्र के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित किया गया हो तथा ऐसे करार के अनुसरण में कोई विक्रय-पत्र तत्पश्चात् निष्पादित किया जाता है, वहां ऐसे विक्रय-पत्र पर शुल्क न्यूनतम १००० रुपये के अध्यधीन रहते हुए पूर्व में संदत्त शुल्क को कम करके इस अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा; (घ) जहां किसी अभिकर्ता को स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत करने का मुख्तारनामा किसी हस्तांतरण-पत्र के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित किया गया हो तथा ऐसे मुख्तारनामे के अनुसरण में, मुख्तारनामे के निष्पादक तथा उस व्यक्ति, जिसके पक्ष में इसे निष्पादित किया गया है, के मध्य कोई विक्रय-पत्र निष्पादित किया जाता है, वहां ऐसे विक्रय-पत्र पर शुल्क, न्यूनतम १००० रुपये के अध्यधीन रहते हुए, पूर्व में संदत्त शुल्क को कम करके इस अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा; (ङ) जहां कोई बंधक विलेख या कोई बंधक करार अनुच्छेद ४३ के अधीन किसी बंधक के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है, तथा बंधक संपत्ति या किसी बंधक विलेख के विरुद्ध फाईल किये गये किसी वाद के अनुसरण में कोई न्यायालयीन डिक्री निष्पादित की जाती है, वहां ऐसी डिक्री या बंधक विलेख पर देय शुल्क, न्यूनतम रुपये १००० के अध्यधीन रहते हुए, अनुच्छेद ४३ के अधीन ऐसे बंधक-विलेख पर पूर्व में संदत्त शुल्क को कम करके इस अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा; (च) जहां किसी लिखत द्वारा कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति में अपनी पत्नी या पुत्री या पुत्रवधू का नाम पृथकतः या संयुक्ततः सहस्वामी के रूप में सम्मिलित करता है, वहां शुल्क की दर संपत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत होगी.
२६. **प्रति या उद्धरण,** जिसकी बाबत भारतीय साक्ष्य अधिनियम,१८७२ (१८७२ का १) की धारा ७६ के अधीन किसी लोक अधिकारी या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है.	एक सौ रुपए.

(१)	(२)
२७. किसी लिखत का, जो कि शुल्क से प्रभार्य है और जिसके संबंध में उचित शुल्क दे दिया गया है, प्रतिलेख या दूसरी प्रति.	एक हजार रुपए
२८. **सीमा शुल्क बंध-पत्र या आबकारी बंध-पत्र** अर्थात् तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसरण में या सीमा या आबकारी विभाग के किसी अधिकारी के निदेशों के अनुसरण में या सीमा या आबकारी के किसी शुल्क के संबंध में या उनमें कपट या अपवंचन को रोकने के लिए या उनसे संबंधित किसी अन्य मामले या उससे संबंधित किसी बात के संबंध में दिये गये बंध-पत्र.	वही शुल्क, जो उतनी ही रकम के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है.
२९ **घोषणा** मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, २००० (क्रमांक १५ सन् २००१) के अधीन.	दस हजार रुपए
३०. **माल की बावत् परिदान—आदेश,** अर्थात् कोई ऐसी लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति को या उसके समनुदेशितियों या लिखत के धारक को, किसी डाक या पत्तन पर या ऐसे किसी भांडागार में जहां माल का भाटक या भाड़े पर या घाट पर भंडारण संगृहीत या निक्षेप किया जाता है, किसी माल के परिदान के लिये हकदार बनाता है, और ऐसी लिखत उसमें की संपत्ति के विक्रय या अंतरण पर, ऐसे माल के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित की गई हो, जबकि ऐसे माल का मूल्य सौ रुपये से अधिक हो.	दस रुपए
३१. **विवाह-विच्छेद** की लिखत, अर्थात् कोई ऐसी लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है.	एक हजार रुपए
३२. पूर्व में रजिस्ट्रीकृत विलेख को संशोधित या उसमें सुधार करने का दस्तावेज, परन्तु जिसके द्वारा कोई सारवान परिवर्तन न किया जा रहा हो. **स्पष्टीकरण**—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए सारवान परिवर्तन वह है, जो मूल लिखत द्वारा अभिनिश्चित पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों या विधिक स्थिति में फेरफार करता है या अन्यथा मूल रूप से निष्पादित लिखत के विधिक प्रभाव में फेरफार करता है.	एक हजार रुपए
३३. विशेष विवाह अधिनियम, १९५४ (१९५४ का ४३) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट विवाह प्रमाण-पत्र की रजिस्टर में प्रविष्टि.	एक सौ रुपए
३४. **संपत्ति के विनिमय की लिखत.**	वही शुल्क जो अधिकतम मूल्य की संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर, जो विनिमय की विषय-वस्तु है, लगता है.

(१)	(२)
३५. **अतिरिक्त भार** की लिखत अर्थात् कोई ऐसी लिखत जो बंधक संपत्ति पर भार अधिरोपित करती है—	
(क) जबकि मूल बंधक अनुच्छेद क्र. ४३ के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये वर्णनों में से किसी एक वर्णन का है (अर्थात् कब्जे सहित);	वही शुल्क जो ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत किए गए अतिरिक्त भार की रकम के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
(ख) जबकि ऐसा बंधक अनुच्छेद क्र. ४३ के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये विवरणों में से किसी एक वर्णन का है (अर्थात् कब्जा रहित)—	
(एक) यदि अतिरिक्त भार की लिखत के निष्पादन के समय, संपत्ति का कब्जा ऐसी लिखत के अधीन दे दिया गया है या दिये जाने के लिए करार किया गया है;	वही शुल्क जो भार की, (जिसके अंतर्गत मूल बंधक और पहले किया गया कोई अतिरिक्त भार है) कुल रकम के हस्तांतरण-पत्र (क्र.२५) पर लगता है, जिसमें से वह शुल्क, जो ऐसे मूल बंधक और अतिरिक्त भार पर संदत्त किया गया है, कम कर दिया जाएगा.
(दो) यदि कब्जा इस प्रकार नहीं दिया गया है.	वही शुल्क जो ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत किये गये अतिरिक्त भार की रकम के बंध पत्र (क्र. १४) पर लगता है.
३६. **दान** की लिखत जो व्यवस्थापन (क्र. ५७) या वसीयत या अंतरण (क्र. ६१) नहीं है:—	
(एक) जब कुटुम्ब के किसी सदस्य को की गई है	उस शुल्क का आधा शुल्क, जो ऐसी संपत्ति, जो दान की विषय-वस्तु है, के बाजार मूल्य के, हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
(दो) अन्य समस्त मामलों में	वही शुल्क, जो ऐसी संपत्ति, जो दान की विषय-वस्तु है, के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
स्पष्टीकरण.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुंब से माता, पिता, पत्नि, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा.	
३७. **क्षतिपूर्ति बंध—पत्र.**	वही शुल्क जो उतनी ही रकम के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है.
३८. **पट्टा**, जिसके अंतर्गत अवर-पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप पट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीकरण करने के लिए कोई करार है—	
(एक) जहां कि पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिए तात्पर्यित है;	ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम या संपत्ति के बाजार मूल्य का ०.०१ प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

(१)	(२)
(दो) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो एक वर्ष से कम नहीं है किन्तु पांच वर्ष से कम है;	विलेख में यथाउपवर्णित प्रीमियम या अग्रिम दिये गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का ०.१ प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.
(तीन) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो पांच वर्ष से कम नहीं है किन्तु दस वर्ष से कम है;	विलेख में यथाउपवर्णित प्रीमियम या अग्रिम दिये गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.
(चार) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो दस वर्ष से कम नहीं है किन्तु बीस वर्ष से कम है;	विलेख में यथाउपवर्णित प्रीमियम या अग्रिम दिये गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.
(पांच) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो बीस वर्ष से कम नहीं है किन्तु तीस वर्ष से कम है;	विलेख में यथाउपवर्णित प्रीमियम या अग्रिम दिये गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का चार प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.
(छह) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है जो तीस वर्ष या उससे अधिक है, या शाश्वतकालीन है या निश्चित कालावधि के लिए तात्पर्यित नहीं है;	विलेख में यथाउपवर्णित प्रीमियम या अग्रिम दिये गए या अग्रिम दिए जाने वाले धन तथा आरक्षित किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का पांच प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो.

स्पष्टीकरण-एक—जब पट्टा करने के करार की कोई लिखत पट्टे के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया जाता है, तब न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए ऐसे पट्टा विलेख पर शुल्क, पूर्व संदत्त शुल्क को कम करके, अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा.

स्पष्टीकरण-दो—जहां किसी पट्टे के संबंध में किसी दीवानी न्यायालय की डिक्री या अंतिम आदेश पट्टे के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है, और ऐसी डिक्री या अंतिम आदेश के अनुसरण में तत्पश्चात् पट्टा निष्पादित किया जाता है, तब न्यूनतम एक हजार रुपए के अध्यधीन रहते हुए ऐसे पट्टा विलेख पर शुल्क पूर्व संदत्त शुल्क को कम करके, अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा.

(१)	(२)
स्पष्टीकरण-तीन—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए प्रीमियम, या अग्रिम दिए गए या दिए जाने वाले धन के रूप में कोई प्रतिफल, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, दिए गए प्रतिफल के रूप में माना जाएगा.	
स्पष्टीकरण—चार—नवीनीकरण कालावधि, यदि पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है, तो वर्तमान पट्टाविलेख के भाग के रूप में मानी जाएगी.	
स्पष्टीकरण—पांच—जबकि पट्टेदार किसी आवर्ती प्रभार, जैसे कि शासकीय राजस्व, भू-स्वामी के उपकरों के अंश या नगरपालिक दरों या करों में स्वामी का अंश, जो पट्टाकर्ता से विधि द्वारा वसूलनीय हो, को चुकाने का जिम्मा लेता हो तो वह रकम, जिसके कि पट्टेदार द्वारा चुकाए जाने का इस प्रकार करार किया गया हो, भाटक का भाग समझी जाएगी. अग्रिम में भुगतान किया गया भाटक भी अग्रिम धन समझा जाएगा, जब तक कि पट्टे में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित न कर दिया जाए कि अग्रिम में भुगतान किया गया भाटक, भाटक की किस्तों में मुजरा किया जाएगा.	
स्पष्टीकरण-छह—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए रॉयल्टी भाटक के रूप में मानी जाएगी.	
स्पष्टीकरण-सात—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य, प्रीमियम तथा भाटक, जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम द्वारा या की ओर से निष्पादित पट्टे की विषयवस्तु है, लिखत में दर्शित मूल्य होगा.	
३९. **शेयरों का आवंटन-पत्र** जो किसी कंपनी या प्रस्थापित कंपनी में या किसी कंपनी या प्रस्थापित कंपनी द्वारा लिये जाने वाले किसी उधार की बावत् है.	दस रुपए.
४०. **प्रत्याभूति-पत्र.**	एक हजार रुपए.
४१. **अनुज्ञप्ति—पत्र**, अर्थात् ऋणी तथा उसके लेनदारों के बीच इस बात का कोई करार कि लेनदार विनिर्दिष्ट समय के लिए अपने दावों को निलंबित कर देंगे और ऋणी को स्वयं अपने विवेकानुसार कारबार चलाने देंगे.	दो हजार रुपए.
४२. **कंपनी का—ज्ञापन**—	
(क) यदि उसके साथ कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा ५ के अधीन अनुच्छेद संलग्न हो;	दो हजार पांच सौ रुपए.
(ख) यदि उसके साथ उपर्युक्त संलग्न न हो.	कंपनी की शेयर पूंजी के अनुसार वही शुल्क जो अनुच्छेद ११ के अधीन प्रभार्य है.

(१)	(२)
४३. बंधक—विलेख, जो हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम या गिरवी या आड़मान (क्र. ७), पोत बंध-पत्र (क्र. १५), फसल का बंधक (क्र. ४४), जहाजी माल बंध-पत्र (क्र. ५५), या प्रतिभूति बंध-पत्र (क्र. ५६) से संबंधित करार नहीं है—	
(क) जबकि ऐसे विलेख में समाविष्ट संपत्ति या संपत्ति के किसी भाग का कब्जा बंधककर्ता द्वारा दे दिया गया है या दिये जाने के लिए करार किया गया है;	वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के लिए हस्तांतरण-पत्र (क्र.२५) पर लगता है.
(ख) जबकि यथापूर्वोक्त कब्जा नहीं दिया गया है या दिये जाने के लिए करार नहीं किया गया है;	वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है.
स्पष्टीकरण—एक. ऐसे बंधककर्ता के बारे में, जो बंधकदार द्वारा जो बन्धकित संपत्ति या उसके भाग के भाटक का संग्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, यह समझा जायेगा कि वह इस अनुच्छेद के अर्थ के अंतर्गत कब्जा दे देता है.	
स्पष्टीकरण—दो. मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, १९९८ तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम, १९९९ के अधीन भूमि के विकास या उस पर निर्माण के लिए सृजित बंधक के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित तथा दस्तावेज में उल्लिखित विकास व्यय, प्रतिभूति राशि होगी.	
(ग) जबकि कोई सांपार्श्विक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति है, या उपरोक्त वर्णित प्रयोजन के लिए और आश्वासन के रूप में है, जहां कि मूल या प्राथमिक प्रतिभूति सम्यक् रूप से स्टाम्पित है;	पांच सौ रुपए.
४४. **फसल का बंधक**, जिसके अंतर्गत कोई ऐसी लिखत है, जो फसल के किसी बंधक पर दिये गये उधार के प्रतिदाय को प्रतिभूत करने के लिए किसी करार को साक्षित करती है, चाहे बंधक के समय फसल अस्तित्व में हो या न हो;	दस रुपए.
४५. **नोटरी संबंधी कार्य**—अर्थात् कोई ऐसी लिखत, पृष्ठांकन, टिप्पण, अनुप्रमाणन, प्रमाण-पत्र या प्रविष्टि, जो प्रसाक्ष्य (क्र. ५१) नहीं है और जो पब्लिक नोटरी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पब्लिक नोटरी के रूप में विधिपूर्वक कार्य करते हुए निष्पादित की गई है.	पचास रुपए.
४६. **टिप्पण या ज्ञापन**—जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लेखे निम्नलिखित के क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए भेजा गया है—	
(क) ऐसे किसी माल का, जो एक सौ रुपये से अधिक मूल्य का है;	अधिकतम पचास रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक एक लाख रुपये या उसके भाग के लिये दो रुपये.
(ख) ऐसे किसी शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बंध-पत्र, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक या इसी प्रकार के अन्य विपण्य प्रतिभूति का, जो एक सौ रुपये से अधिक मूल्य का है, जो सरकारी प्रतिभूति न हो;	अपरिदान आधारित संव्यवहारों के मामले में यथास्थिति, उनके क्रय या विक्रय के समय प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिए दो लाख रुपये; तथा परिदान आधारित संव्यवहारों के मामले में प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.

(१)	(२)
(ग) ऐसे किसी सरकारी प्रतिभूति का;	अधिकतम पांच हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, प्रतिभूति के यथास्थिति क्रय या विक्रय के समय उसके मूल्य के प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.
स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए, ऐसी किसी फर्म या प्रोपराईटर, जो स्टॉक एक्सचेंज का अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५२ (१९५२ का ७४) की धारा २ के खण्ड (क) में यथा परिभाषित किसी संगम का व्यापारिक सदस्य हो, के द्वारा स्वयं के लिए किए गए वायदे के सौदों तथा विकल्प करारों का तथा खण्ड (क) में वर्णित मालों की अग्रिम संविदा से संबंधित संव्यवहारों का अभिलेख (इलेक्ट्रानिक या अन्यथा) नोट या ज्ञापन समझा जायेगा.	
४७. पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति का टिप्पण;	पचास रुपये.
४८. **विभाजन की लिखत**—	
(एक) जब कुटुम्ब के सदस्यों के बीच की गई हो	उस शुल्क का आधा शुल्क, जो ऐसी संपत्ति, के पृथक् किए गए अंश या अंशों के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
(दो) अन्य किसी मामले में	वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति, के पृथक् किए गए अंश या अंशों के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
टिप्पण.—संपत्ति विभाजित किए जाने के पश्चात् बच रहे सबसे बड़े अंश को (या यदि दो या अधिक समान मूल्य के अंश हैं, जो अन्य अंशों में से किसी भी अंश से छोटे नहीं हैं तो ऐसे समान अंशों में से एक अंश को) ऐसा अंश समझा जाएगा, जिससे अन्य अंश पृथक् कर दिए गए हैं.	
स्पष्टीकरण-एक.—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुंब से माता, पिता, पत्नि, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा.	
स्पष्टीकरण-दो.—जबकि विभाजन की कोई ऐसी लिखत निष्पादित की गई है, जिसमें संपत्ति को पृथक्-पृथक् विभक्त करने का करार है और ऐसे करार के अनुसरण में विभाजन कर दिया गया है, तब ऐसा विभाजन प्रभावी करने वाली लिखत पर प्रभार्य शुल्क में से प्रथम लिखत की बाबत् चुकाए गए शुल्क की रकम कम कर दी जाएगी, किन्तु वह एक हजार रुपए से कम नहीं होगी;	

(१)	(२)
स्पष्टीकरण—तीन. जहां केवल कृषि भूमि (नगरीय या निवेश क्षेत्र या कोई अन्य क्षेत्र, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, के भीतर स्थित नहीं है) के विभाजन से संबंधित लिखत है, वहां शुल्क के प्रयोजन के लिए बाजार मूल्य वार्षिक भू-राजस्व के सौ गुना से संगणित किया जाएगा;	
स्पष्टीकरण—चार. जहां कि किसी राजस्व प्राधिकारी या सिविल न्यायालय द्वारा विभाजन का पारित अंतिम आदेश, या विभाजन करने का निर्देश देते हुए मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट, विभाजन की किसी लिखत के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित किया गया है, और ऐसे आदेश या पंचाट के अनुसरण में विभाजन की लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क एक हजार रुपये से कम नहीं होगा.	
४९. **भागीदारी—**	
क. भागीदारी की लिखत—	
(क) जहां भागीदारी में कोई अभिदाय के शेयर नहीं हैं या जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रुपये ५०,००० से अधिक नहीं हैं;	दो हजार रुपये.
(ख) जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रुपये ५०,००० से अधिक हैं;	न्यूनतम दो हजार रुपये एवं अधिकतम दस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, अभिदत्त शेयरों का दो प्रतिशत.
(ग) जहां अभिदाय का ऐसा शेयर स्थावर सम्पत्ति के रूप में लाया जाता है;	ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत.
स्पष्टीकरण—जहां अभिदाय का ऐसा शेयर नकद में तथा स्थावर सम्पत्ति के रूप में लाया जाता है, वहां खण्ड (ख) तथा (ग) दोनों लागू होंगे.	
ख. भागीदारी का विघटन या भागीदार की सेवानिवृत्ति—	
(क) जहां भागीदारी का विघटन होने पर या किसी भागीदार के सेवानिवृत्त होने पर कोई स्थावर संपत्ति ऐसे भागीदार जो कि उस संपत्ति को अपने अभिदाय के शेयर के रूप में लाया था, से भिन्न किसी भागीदार द्वारा अपने शेयर के रूप में ली जाती है;	वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
(ख) किसी अन्य मामले में;	एक हजार रुपये.

(१)	(२)
५०. **मुख्तारनामा** धारा २ (२१) द्वारा यथापरिभाषित, जो परोक्षी नहीं है—	
(क) जबकि वह खण्ड (ग) या (घ) के अन्तर्गत आने वाले मुख्तारनामा को छोड़कर एक या अधिक व्यक्तियों को एक ही संव्यवहार में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;	एक हजार रुपये.
(ख) जबकि वह खण्ड (ग) या (घ) के अन्तर्गत आने वाले मुख्तारनामा को छोड़कर एक व्यक्ति को एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिये या दस से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः या पृथकतः एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;	दो हजार रुपये.
(ग) जबकि वह प्रतिफल के लिए दिया गया है तथा अभिकर्ता को मध्यप्रदेश में स्थित किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय, विनिमय या स्थायी रूप से अन्य संक्रान्त करने के लिए प्राधिकृत करता है;	वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
(घ) जबकि वह प्रतिफल के बिना दिया गया है तथा अभिकर्ता को मध्यप्रदेश में स्थित स्थावर संपत्ति को विक्रय, दान, विनिमय या स्थायी रूप से अन्य संक्रांत करने के लिये प्राधिकृत करता है—	
(एक) जब अभिकर्ता कुटुम्ब का सदस्य है	एक हजार रुपये.
(दो) जब अभिकर्ता कुटुम्ब का सदस्य नहीं है	वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
(ङ) जबकि वह किसी व्यक्ति को किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयर, स्क्रिप्स, बंधपत्र, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टाक या इसी प्रकार की विपण्य प्रतिभूति को मालिक के नाम से क्रय करने के एकमात्र प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करता है.	एक सौ रुपये.
(च) अन्य किसी मामले में;	प्राधिकृत किए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक हजार रुपये.
स्पष्टीकरण—एक—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुंब से माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा;	
स्पष्टीकरण—दो—एक से अधिक व्यक्तियों की बाबत् उस दशा में, जिसमें कि वे एक ही फर्म के हैं, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह एक ही व्यक्ति है.	
५१. **विनिमय-पत्र या वचन-पत्र विषयक, प्रसाक्ष्य** अर्थात् नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधि-पूर्वक करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गई ऐसी घोषणा, जो विनिमय-पत्र या वचन-पत्र का अनादर करने का अनुप्रमाणन करती है;	पचास रुपये.

(१)	(२)
५२. **पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति** अर्थात् पोत की यात्रा के विवरणों का ऐसा घोषणा-पत्र, जो हानियों का समायोजन करने या औसतों का परिकलन करने की दृष्टि से उसके द्वारा लिखा गया है और पोत को भाड़े की संविदा पर लेने वालों या परेषितियों द्वारा पोत पर माल न लादने या पोत से माल न उतारने के लिये उसके द्वारा उनके विरुद्ध लिखित रूप में की गई कोई घोषणा जबकि ऐसा घोषणा-पत्र नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित या प्रमाणित किया गया है.	पचास रुपये.
५३. **बंधकित संपत्ति का प्रतिहस्तांतरण,** जिसमें हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक सम्मिलित है;	एक हजार रुपये.
५४. **निर्मुक्ति** अर्थात् कोई लिखत, (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिये धारा २३-क द्वारा उपबंध किया गया है) जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर दावे का या किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर दावे का त्याग कर देता है—	
(एक) जहां कुटुंब के किसी सदस्य के पक्ष में है;	उस शुल्क का आधा शुल्क, जो सम्पत्ति के उस शेयर, जिस पर कि दावे का त्याग किया गया है, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
(दो) अन्य किसी मामले में—	वही शुल्क, जो संपत्ति के उस शेयर, जिस पर कि दावे का त्याग किया गया है, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, इनमें जो भी अधिक हो, के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुंब से माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/नातिन एवं पौत्र/नाती अभिप्रेत होगा.	
५५. **जहाजी माल बंधपत्र,** अर्थात् कोई लिखत जो उस उधार के लिये प्रतिभूति देती है जो किसी पोत के फलक पर लादे गये या लादे जाने वाले स्थोरा पर लिया गया है और जिसकी अदायगी स्थोरा के गंतव्य पत्तन पर पहुंचने पर समाधित है;	वही शुल्क जो प्रतिभूत किए गए उधार की रकम के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है.
५६. **प्रतिभूति बंधपत्र जो बंधक-विलेख नहीं है**— जहां ऐसा प्रतिभूति बंधपत्र किन्हीं पदीय कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया है, या प्रतिभू द्वारा किसी संविदा का सम्यक् पालन सुनिश्चित करने के लिये निष्पादित किया गया है, या किसी न्यायालय या लोक अधिकारी के आदेश जो न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का ७) द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो के अनुसरण में निष्पादित किया गया है;	वही शुल्क जो उतनी ही रकम के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है.

(१)	(२)
५७. **व्यवस्थापन—**	
क. व्यवस्थापन की लिखत (जिसके अंतर्गत मेहर विलेख है);	
(एक) कुटुंब के सदस्यों की दशा में;	उस शुल्क का आधा शुल्क, जो व्यवस्थापित संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
(दो) किसी अन्य मामले में.	वही शुल्क, जो व्यवस्थापित संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
स्पष्टीकरण १—जहां व्यवस्थापन के लिये करार व्यवस्थापन की लिखत के लिये अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है और ऐसे करार के अनुसरण में व्यवस्थापन संबंधी लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क एक हजार रुपए से कम नहीं होगा.	
स्पष्टीकरण २—इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए शब्द कुटुंब से माता, पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पौत्री/ नातिन एवं पौत्र/ नाती अभिप्रेत होगा.	
(ख) व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण	एक हजार रुपए.
५८. **शेयर वारंट** वाहक के लिये कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) के अधीन निर्गमित.	वारंट में विनिर्दिष्ट शेयरों की अभिहित रकम के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर संदेय शुल्क का डेढ़ गुना शुल्क.
५९. **पोत द्वारा भेजने के आदेश,** जो किसी जलयान के फलक पर माल का प्रवहण करने के लिये या माल का प्रवहण करने से संबंधित हो.	पचास रुपए.
६०. **पट्टे का अभ्यर्पण** बिना किसी प्रतिफल के तथा जहां विषय-वस्तु संपत्ति उसी स्थिति में हो, जैसी कि वह मूल पट्टा विलेख में अभिकथित की गई थी.	एक हजार रुपए.
६१. **अंतरण—**	
(क) धारा ८ द्वारा उपबंधित डिबेंचरों के सिवाय डिबेंचरों का, जो विपण्य प्रतिभूतियां है, चाहे शुल्क के लिये डिबेंचर दायी हो या न हो;	डिबेंचर की प्रतिफल की रकम के प्रत्येक सौ रूपये या उसके भाग के लिये पचास पैसे.
(ख) बंध-पत्र, बंधक-विलेख या बीमा पालिसी द्वारा प्रतिभूत किसी हित का;	वही शुल्क जो हित की ऐसी रकम या मूल्य के बंध-पत्र (क्र. १४) पर लगता है.
(ग) महाप्रशासक अधिनियम, १९६३ (१९६३ का ४५) की धारा २२ के अधीन किसी संपत्ति का.	एक हजार रुपए.

(१)	(२)
६२. **पट्टे का अंतरण,** समनुदेशन द्वारा न कि उप पट्टे द्वारा;	वही शुल्क जो उस संपत्ति के, जो अंतरण की विषय-वस्तु है, के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
६३. **न्यास—**	
क. **की घोषणा—** किसी संपत्ति की या उसके बारे में जब कि वसीयत से भिन्न लिखित रूप में की गई हो—	
(क) जहां संपत्ति का व्ययन हो;	तीन चौथाई शुल्क, जो व्यवस्थापित संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २५) पर लगता है.
(ख) किसी अन्य मामले में;	एक हजार रुपए.
ख. **का प्रतिसंहरण**—किसी संपत्ति का या उसके बारे में जबकि वह वसीयत से भिन्न किसी लिखत के रूप में किया गया हो;	एक हजार रुपए.
६४. **माल के लिये वारंट,** अर्थात् ऐसी कोई लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति के या उसके समनुदेशितियों के या उसके धारक के उस माल में की संपत्ति के हक का साक्ष्य है जो किसी डाक, भाण्डागार या बाट में या उस पर पड़े हैं, जबकि ऐसी लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल है, हस्ताक्षरित या प्रमाणित की गई है;	दस रुपए.''.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

५. (१) भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ५ सन् २०१४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) में, विभिन्न प्रकार की लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण हेतु दो अनुसूचियां हैं. अनुसूची-१ उन लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की दरें निर्धारित करती है, जो संविधान की सप्तम अनुसूची की संघ-सूची की प्रविष्टि ९१ में प्रगणित हैं, जबकि अनुसूची १-क उन अन्य लिखतों पर दरें निर्धारित करती है, जो सप्तम अनुसूची की राज्य-सूची की प्रविष्टि ६३ में प्रगणित हैं.

२. निम्नलिखित कारणों से अनुसूची-१ का स्थापन आवश्यक हो गया है—

(क) वर्तमान अनुसूची १-क वर्ष २००२ में पुनरीक्षित की गई थी, अत: स्टाम्प शुल्क की दरों को वर्तमान मूल्य-सूचकांक के अनुरूप युक्तियुक्त किया जाना है.

(ख) विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा विद्यमान अनुसूची-१-क में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं. उदाहरण के लिये दिनांक १-४-२०११ से हस्तान्तरण-पत्र (वर्तमान अनुच्छेद २२) पर शुल्क की दर पूर्व में प्रचलित सात प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत की गई थी. इस कारण विभिन्न संबंधित दस्तावेजों पर शुल्क की दरों को युक्तियुक्त किए जाने की आवश्यकता है.

(ग) ऐसे मुख्तारनामों पर, जो उसी परिवार से संबंध रखने वाले किसी अभिकर्ता को बिना किसी प्रतिफल के स्थावर सम्पति के अंतरण के लिए सशक्त करते हों, शुल्क की दर कम किए जाने की आवश्यकता है.

(घ) कुछ दस्तावेजों को, जो वर्तमान अनुसूची १-क में सम्मिलित नहीं हैं, जैसे प्रतिफल की प्राप्ति की अभिस्वीकृति, बैंक गारंटी, सहमति विलेख, मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, २००० (क्रमांक १५ सन् २००१) के अधीन घोषणा तथा पूर्व में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को संशोधित करने अथवा उसमें सुधार करने वाले दस्तावेज, अनुसूची १-क में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है.

(ङ) विद्यमान अनुच्छेद ३८(ख) के अंतर्गत कब्जारहित बंधक पर शुल्क की दर प्रतिभूत राशि का ०.५ प्रतिशत है, जबकि विद्यमान अनुच्छेद ३० (ख) (दो) के अधीन समान प्रकृति के दस्तावेजों के लिये शुल्क चार प्रतिशत है. ये प्रावधान परस्पर विरुद्ध है. इस फर्क को दूर किए जाने की आवश्यकता है.

३. अनुसूची-१-क के प्रस्तावित स्थापन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :—

(क) कर अपवंचन रोकने के लिए—

(एक) पंचाट पर प्रभार्यता सम्पत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार प्रस्तावित की गई है.

(दो) पट्टा विलेखों में शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य के साथ जोड़ा गया है, तथा

(तीन) विद्यमान अनुच्छेद ४४ (भागीदारी) में, यदि अभिदाय का अंशदाय का अंश स्थावर सम्पत्ति के रूप में लाया जाता है, तो शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य अनुसार होगा.

(ख) दान, विभाजन, निर्मुक्ति एवं व्यवस्थापन के मामलों में, जब कि दस्तावेज के पक्षकार परिवार के ही हों (जिसमें माता, पिता, पत्नि, पति, पुत्री, पुत्र, बहन, भाई, पौत्री/नातिन तथा पौत्र/नाती सम्मिलित हैं) तो शुल्क की दर बाजार मूल्य के २.५ प्रतिशत तक कम की गई है.

४. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतः भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ५ सन् २०१४) उक्त प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान सभा का एक अधिनियम उपान्तरणों के साथ लाया जाए जिससे स्टाम्प शुल्क की दरों को युक्तियुक्त किया जा सके.

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ५ दिसम्बर, २०१४.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

भरातीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ के तहत अनुसूची-१-क में स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण के लिए राज्य सरकार सक्षम है. नवीन स्टाम्प शुल्क अनुसूची-१-क के स्थापन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

१. अनुसूची १-क के कुछ अनुच्छेदों में दरों का पुनरीक्षण वर्ष २००२ में किया गया था. अत: स्टाम्प शुल्क की दरों को वर्तमान मूल्य सूचकांक के अनुरूप युक्तियुक्त किया जाना है.

२. दान, विभाजन, निर्मुक्ति एवं व्यवस्थापन के मामलों में, जबकि दस्तावेज के पक्षकार परिवार के ही हों, तो शुल्क की दर आधी की गई है.

३. पट्टा विलेखों में शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य के साथ जोड़ा गया है.

४. ऐसे मुख्यारनामों पर, जो उसी परिवार से संबंध रखने वाले किसी अभिकर्ता को बिना किसी प्रतिफल के स्थावर सम्पत्ति के अंतरण के लिए सशक्त करते हों, शुल्क की दर कम किए जाने की आवश्यकता है.

५. कुछ दस्तावेजों को जो कि अनुसूची १-क में सम्मिलित नहीं है, जैसे—प्रतिफल की प्राप्ति की अभिस्वीकृति, बैंक गारंटी, सहमति विलेख, मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, २००० के अधीन घोषणा तथा पूर्व में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज को संशोधित करने अथवा उसमें सुधार करने वाले दस्तावेज, को अनुसूची १-क में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है.

६. पंचाट पर शुल्क की प्रभार्यता सम्पत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार किया जाना है.

७. भागीदारी विलेख में यदि अभिदाय का अंश स्थावर सम्पत्ति के रूप में लाया जाता है, तो शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य के अनुसार किया जाना है.

(२) स्टाम्प शुल्क की दरों में परिवर्तन अवश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अत: भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ५ सन् २०१४) उक्त प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर इस विधेयक के द्वारा अधिनियम के उपरांतरणों के साथ लाया जाए, जिससे स्टाम्प शुल्क की दरों को युक्तियुक्त किया जा सके.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का सं. २) से उद्धरण.

*　　　*　　　*　　　*　　　*

धारा ३ शुल्क से प्रभार्य लिखतें—

परन्तु यह और भी कि कोई भी शुल्क निम्नलिखित की बाबत् प्रभार्य न होगा—

(१) सरकार द्वारा या उसकी ओर से या उसके पक्ष में निष्पादित किसी लिखत पर, उन दशाओं में जिनमें, इस छूट के अभाव में, सरकार, ऐसी लिखत की बाबत् प्रभार्य शुल्क देने के लिये दायी होती.

(२) जो कोई लिखत पश्चात्वर्ती अधिनियमों द्वारा यथा-संशोधित वाणिज्य पोत परिहवन अधिनियम, १९९४ या १८३८ का अधिनियम सं. १९ या इंडियन रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप्स एक्ट, १८४१ के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या जलयान के, अथवा किसी पोत या जलयान के किसी भाग, हित अंश या सम्पत्ति चाहे आत्यन्तिकतः या बन्धक द्वारा या अन्यथा विक्रय, अन्तरण या अन्य व्ययन के लिये है.

*　　　*　　　*　　　*　　　*

अनुसूची १-क

लिखतों पर स्टाम्प शुल्क.

(धारा ३ देखिए)

अनु.क्र. (१)	लिखतों का वर्णन (२)	उचित स्टाम्प शुल्क (३)
१.	**अभिस्वीकृति** किसी ऋण की रकम या मूल्य में पांच सौ रुपये से अधिक की जो ऋणी द्वारा या उसकी ओर से किसी बही में (जो बैंककार की पास-बुक से भिन्न है) या किसी पृथक् कागज के टुकड़े पर, लिखी जाय या हस्ताक्षरित की जाए, जबकि ऐसी बही या कागज लेनदार के कब्जे में छोड़ दिया गया हो.	दो रुपये.
२.	**प्रशासन बंध-पत्र,** जिसके अन्तर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ (१९२५ का ३९) की धारा २९१, ३७५ और ३७६ तथा गवर्मेंट सेविंग्स बैंक एक्ट, १८७३ (१८७३ का ५) की धारा ६ के अधीन दिया गया बंध-पत्र है.	वही शुल्क जो ऐसी रकम के लिये बंध-पत्र (क्र. १२) पर लगता है.
३.	**दत्तक विलेख,** अर्थात् कोई लिखत (वसीयत से भिन्न) जो दत्तक-ग्रहण के अभिलेख स्वरूप है या दत्तक-ग्रहण के लिए प्राधिकार प्रदत्त करती है या प्रदत्त करने के लिए तात्पर्यित है.	पांच सौ रुपये.
४.	**शपथ-पत्र,** अर्थात् लिखत में किया गया कोई कथन जो तथ्यों के कथन के लिये तात्पर्यित है जो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है और जिसकी पुष्टि उसके द्वारा शपथ पर या उन व्यक्तियों के मामले में जिन्हें विधि द्वारा घोषणा करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, प्रतिज्ञान द्वारा की गई है : **छूटें** लिखित रूप में शपथ-पत्र या घोषणा जबकि वहः— (क) सेना अधिनियम, १९५० (१९५० का ४६) नौसेना अधिनियम, १९५७ (१९५७ का ६२) या वायुसेवा अधिनियम, १९५० (१९५० का ४५) के अधीन भर्ती होने के लिये शर्त के रूप में; (ख) किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय के अधिकारी के समक्ष फाईल किये जाने या उपयोग में लाए जाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए;	दस रुपये.

(१)	(२)	(३)
	(ग) किसी व्यक्ति को कोई पेंशन या पुण्यार्थ भत्ता प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए की गई है.	
५.	करार या करार का ज्ञापन—	
	(क) यदि वह विनिमय-पत्र के विक्रय से संबंधित है;	प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.
	(ख) (एक) यदि वह सरकारी प्रतिभूति के क्रय या विक्रय से संबंधित है;	अधिकतम एक हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूति के यथास्थिति, क्रय या विक्रय के समय उसके मूल्य के प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.
	(दो) यदि वह किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयर, स्क्रिप, बंध-पत्र, डिबेंचर, डिबेन्चर-स्टाक या इसी प्रकार विपण्य प्रतिभूमि के क्रय या विक्रय से संबंधित है;	प्रतिभूति के, यथास्थिति, क्रय या विक्रय के समय उसके मूल्य के प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.
	(ग) यदि वह किसी विनिर्माता या किसी कारबार, व्यवहार ज्ञान, ब्रांड नाम, व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) या इसी प्रकार के किसी अन्य कारबार के स्वामी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे विनिर्माता या कारबार के स्वामी के व्यवहार ज्ञान, ब्रांड नाम, व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) आदि का उपयोग करते हुए कारबार या अन्य क्रियाकलाप करने की दी गई अनुज्ञा से संबंधित है, अर्थात् फ्रेंचाईज का करार है;	दस हजार रुपये.
	(घ) यदि वह ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न व्यक्ति द्वारा उस भूमि पर भवन के निर्माण से संबंधित है तथा उसमें यह अनुबंध हो कि निर्माण के पश्चात् ऐसा भवन यथास्थिति, उस अन्य व्यक्ति तथा भूमि के स्वामी या पट्टेदार द्वारा संयुक्ततः या पृथकतः धारित किया जायेगा या यह कि ऐसे भवन का उनके द्वारा संयुक्ततः या पृथकतः विक्रय किया जायेगा या यह कि इसका एक भाग उनके द्वारा संयुक्ततः या पृथकतः धारित किया जायेगा तथा उसका शेष भाग उनके द्वारा संयुक्ततः या पृथकतः विक्रय किया जायेगा;	ऐसी भूमि का बाजार मूल्य का तीन प्रतिशत.
	(ङ) यदि वह किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय से संबंधित है—	
	(एक) सम्पत्ति का कब्जा हस्तांतरण-पत्र निष्पादित किये बिना परिदत्त किया जाता है या परिदत्त किये जाने पर करार किया जाता है;	वही शुल्क जो सम्पत्ति के बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण-पत्र (क्रमांक २२) पर लगता है.
	(दो) जब संपत्ति का कब्जा नहीं दिया जाता है;	करार या करार के ज्ञापन में उपवर्णित संपत्ति के कुल प्रतिफल का एक प्रतिशत.

(१)	(२)	(३)
	(च) यदि वह स्थावर संपत्ति के भाड़ाक्रय से संबंधित हो;	पांच सौ रुपये.
	(च-क) यदि किसी उधार या ऋण के पुनर्भुगतान को, प्रतिभूत करने से संबंधित हो;	अधिकतम पचास हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए, उधार या ऋण की रकम का ०.५ प्रतिशत.
	(छ) यदि उसके लिए अन्यथा उपबंध न किया गया हो;	एक सौ रुपये.
	छूटें	
	करार या करार का ज्ञापन—	
	(क) जो अनन्यत: माल या वाणिज्य के विक्रय के लिए है या उससे संबंधित है और जो अनुच्छेद ४१ के अधीन प्रभार्य नोट या ज्ञापन नहीं है.	
	(ख) जो केन्द्रीय सरकार को किन्हीं ऐसी निविदाओं के रूप में किये गये हैं जो किसी उधार के लिए है या उससे संबंधित है.	
६.	**हक-विलेख के निक्षेप,** पण्यम, गिरवी या आड़मान से संबंधित करार अर्थात् निम्नलिखित से संबंधित करार को साक्ष्यित करने वाली कोई लिखत—	
	(क) ऐसे हक-विलेखों या लिखतों का निक्षेप जिससे किसी भी संपत्ति पर (विपण्य प्रतिभूति से भिन्न) हक का साक्ष्य हो जाता है, जहां कि ऐसा निक्षेप, उधार में अग्रिम दिये गये या दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में की गई है;	अधिकतम पांच लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम का ०.२५ प्रतिशत.
	(ख) जंगम संपत्ति का पण्यम, गिरवी या आडमान, जहां ऐसा पण्यम, गिरवी या आडमान उधार में अग्रिम दिये गये या दिये जाने वाले धन के अथवा वर्तमान या भावी ऋण के चुकाए जाने के लिए प्रतिभूति के रूप में दी गई है—	
	(एक) यदि ऐसा उधार या ऋण, मांग पर या ऐसे समय पर जो करार को साक्ष्यित करने वाली लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक है, प्रतिसंदेय है;	अधिकतम दो लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए प्रतिभूत रकम का एक प्रतिशत.

(१)	(२)	(३)
	(दो) यदि ऐसा उधार या ऋण ऐसे समय पर प्रतिसंदेय है जो ऐसी लिखत की तारीख से तीन मास से अधिक नहीं है.	इस अनुच्छेद के खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) के अधीन देय शुल्क का आधा.
	स्पष्टीकरण.—इस अनुच्छेद के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश में या किसी प्राधिकारी के आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हक-विलेखों के निक्षेप से संबंधित किसी पत्र, टिप्पण, ज्ञापन या लेख को चाहे वह हक-विलेखों के निक्षेप किये जाने के पूर्व या ऐसे निक्षेप के समय या उसके पश्चात् लिखा गया है, या बनाया गया है, और चाहे वह प्रथम उधार के लिए या बाद में किये गये किसी अतिरिक्त उधार या उधारों के लिए प्रतिभूति के संबंध में हो ऐसा पत्र, टिप्पण, ज्ञापन या लेख को ऐसे हक-विलेखों के निक्षेप से संबंधित किसी पृथक् करार या करार के ज्ञापन के अभाव में हक-विलेखों के निक्षेप से संबंधित करार को साक्ष्यित करने वाली, लिखत समझा जायेगा.	
	छूट	
	(क) विनिमय-पत्र के साथ संलग्न आडमान पत्र;	
	(ख) कृषि उत्पाद के पण्यम या गिरवी की कोई लिखत यदि वह अननुप्रमाणित हो.	
७.	**मुख्तारनामे के निष्पादन में,** न्यासियों का नियुक्त किया जाना या; जंगम या; स्थावर संपत्ति पर नियोजन, जहां वह ऐसी लिखत में जो वसीयत न हो, किया गया हो;	एक सौ रुपये.
८.	**आंकना या मूल्यांकन,** जो किसी वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश के अधीन न किया जाकर अन्यथा किया गया है;	एक सौ रुपये.
	छूटें	
	(क) आंकना या मूल्यांकन जो केवल एक पक्षकार की जानकारी के लिए किया गया है और जो या तो करार या विधि के प्रवर्तन द्वारा पक्षकारों के बीच किसी भी रीति से आबद्धकर नहीं है;	

(१)	(२)	(३)
	(ख) भाटक के रूप में भूमिस्वामी को दी जाने वाली रकम अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए फसलों को आंकना;	
९.	**शिक्षुता विलेख,** जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा लेख है, जो किसी ऐसे शिक्षु, लिपिक या सेवक की सेवा या अध्यापन से संबंधित है जो किसी मास्टर के पास किसी वृत्ति, व्यापार या नियोजन को सीखने के लिये रखा गया है;	पचास रुपये.
	छूट	
	शिक्षुता लिखत, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी लोक पूर्त द्वारा या उसके प्रभार में शिक्षु रखा गया है;	
१०.	**कम्पनी के संगम अनुच्छेद—**	
	(क) जहां कम्पनी के पास अंशपूंजी (शेयर केपीटल) नहीं है;	एक हजार रुपये.
	(ख) जहां कम्पनी के पास अभिहित अंश (शेयर) पूंजी है, या अंश (शेयर) पूंजी बढ़ाई है;	ऐसी अभिहित या बढ़ाई गई अंश (शेयर) पूंजी का ०.१५ प्रतिशत जो किसी भी दशा में न्यूनतम एक हजार रुपये तथा अधिकतम पांच लाख रुपये होगी.
	छूट	
	ऐसे संगम का अनुच्छेद जो लाभार्जन के लिए नहीं बनाया गया है और जो कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) की धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है.	
११.	**पंचाट** अर्थात् वाद के अनुक्रम में न्यायालय के आदेश से अन्यथा किये गये किसी निर्देश में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा दिया गया कोई लिखित विनिश्चय जो वर्तमान या भविष्य के मतभेदों को माध्यस्थम को प्रस्तुत करने के लिए लिखित करार के फलस्वरूप किया गया पंचाट है तथा जो विभाजन का निर्देश देने वाला पंचाट नहीं है;	उस संपत्ति के जो पंचाट से संबंधित है, रकम या मूल्य के प्रत्येक एक हजार रुपये या उसके भाग के लिए बीस रुपये.
१२.	**बंधपत्र**, जो डिबेंचर (क्रमांक २७) नहीं है जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का ७) द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है;	प्रतिभूत रकम या मूल्य का चार प्रतिशत.

(१)	(२)	(३)
	छूट	
	बंधपत्र जब वह किसी व्यक्ति द्वारा यह गारंटी देने के प्रयोजन के लिए निष्पादित किया गया हो कि किसी पूर्त औषधालय को या चिकित्सालय को या लोक उपयोगी उद्देश्य के लिए प्राइवेट अभिदाय से प्राप्त स्थानीय आय प्रतिमास एक विनिर्दिष्ट रकम से कम नहीं होगी.	
१३.	**पोत बंधपत्र** अर्थात् कोई लिखत जिसके द्वारा समुद्रगामी पोत का मास्टर पोत की प्रतिभूति पर धन उधार लेता है, जिससे वह पोत का परिरक्षण करने में तथा उसकी समुद्र-यात्रा को अग्रसर करने में समर्थ हो सके;	वही शुल्क जो उतनी रकम के बंधपत्र (क्र. १२) पर लगता है.
१४.	**रद्द करने की लिखत,** यदि वह अनुप्रमाणित है और उसके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है;	एक सौ रुपये.
	छूट	
	वसीयत के रद्दकरण की लिखत.	
१५.	मध्यप्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद् (बार काउंसिल) द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २५) की धारा २२ के अधीन जारी किया गया नामांकन प्रमाण-पत्र;	दो सौ पचास रुपये.
१६.	**नोटरी अधिनियम,** १९५२ (१९५२ का ५३) की धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण-पत्र या उक्त धारा की उपधारा (२) के अधीन ऐसे प्रमाण-पत्र के नवीकरण का पृष्ठांकन;	पांच सौ रुपये.
१७.	ऐसी प्रत्येक संपत्ति के बारे में, जो अलग लाट में नीलाम कर चढ़ाई गई है और बेची गई है, का विक्रय प्रमाण-पत्र, जो लोक नीलाम द्वारा बेची गई संपत्ति के क्रेता को किसी सिविल या राजस्व न्यायालय या कलक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया है;	वही शुल्क जो केवल क्रय धन की रकम के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण-पत्र (क्र. २२) पर लगता है.
१८.	**प्रमाण-पत्र** या अन्य दस्तावेज जो उसके धारक का **किसी** अन्य व्यक्ति की किसी निगमित कंपनी या अन्य **निगमित** निकाय में के या उसके किन्हीं शेयरों, स्क्रिप या **स्टॉक** संबंधी अधिकार या हक को या किसी ऐसी **कम्पनी** या निकाय में के या उसके शेयरों, स्क्रिप या **स्टॉक** का स्वत्वधारी होने संबंधी अधिकार या हक को साक्ष्यित करता है;	शेयरों, स्क्रिप या स्टॉक के मूल्य के प्रत्येक एक हजार रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.

(१)	(२)	(३)
१९.	**भाड़े पर पोत लेने की संविदा,** अर्थात् (कर्षवाप नौका के भाड़े संबंधी करार) कोई लिखत, जिसके द्वारा कोई जलयान या उसका कोई विनिर्दिष्ट प्रमुख भाग भाड़े की संविदा करने वाले के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिया जाता है, चाहे उस लिखत में शास्ति खण्ड हो या न हो;	दस रुपये.
२०.	समाशोधन सूची:—	
	(क) यदि वह किसी स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों से संबंधित है;	अधिकतम एक हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए ऐसी सूची की प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में जो प्रतिभूतियों के उस मूल्य पर जो, यथास्थिति मिलान (making-up) कीतम या संविदा कीमत पर संगणित की गई है, के प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.
	(ख) यदि वह किसी स्टॉक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत किसी निगमति कंपनी या निगमित निकाय के शेयर, स्क्रिप, डिबेंचर स्टॉक या इसी प्रकार की अन्य विपण्य प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों से संबंधित है;	ऐसी सूची की प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में प्रतिभूतियों के उस मूल्य पर जो यथास्थिति मिलान (making-up) कीमत या संविदा कीमत पर संगणित की गई है, के प्रत्येक १०,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया.
२१.	**प्रशमन विलेख,** अर्थात् किसी ऋणी द्वारा निष्पादित कोई लिखत जिसके द्वारा वह अपने लेनदारों के फायदे के लिए अपनी संपत्ति हस्तांतरित करता है या जिसके द्वारा उनके ऋणों पर प्रशमन-धन या लाभांश का संदाय लेनदारों को प्रतिभूत किया जाता है या जिसके द्वारा लेनदारों द्वारा नाम-निर्दिष्ट निरीक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन या अनुज्ञा-पत्रों के अधीन ऋणी के कारबार को उसके लेनदारों के फायदे के लिए चालू रखने के लिए उपबंध किया जाता है;	पांच सौ रुपये.
२२.	**हस्तांतरण-पत्र,** जो ऐसे अंतरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे क्रमांक ५६ के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है;	उस संपत्ति के जो कि हस्तांतरण-पत्र की विषय वस्तु है, बाजार मूल्य का पांच प्रतिशत. परन्तु— (क) जहां कोई लिखत कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) की धारा ३९४ के अधीन उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन या बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का १०) की धारा ४४-क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों के अधीन कंपनियों के समामेलन या पुनर्गठन से संबंधित हो वहां प्रभार्य शुल्क, उस अंतरित स्थावर संपत्ति, जो कि मध्यप्रदेश राज्य के भीतर स्थित है, के बाजार मूल्य

(१)	(२)	(३)
		के ७ प्रतिशत के बराबर रकम या ऐसे अंतरण के विनिमय में या अन्यथा जारी या आवंटित शेयरों के बाजार मूल्य तथा ऐसे अंतरण के लिए संदत्त प्रतिफल की रकम के योग के ०.७ प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा;
		(ख) जहां कोई लिखत किसी ऋण के समनुदेशन से संबंधित हो, वहां लागू शुल्क की दर समनुदेशित ऋण की रकम का ०.५ प्रतिशत होगी;
		(ग) जहां किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के लिए करार किसी हस्तांतरण-पत्र के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित किया गया हो, तथा ऐसे करार के अनुसरण में कोई विक्रय-पत्र तत्पश्चात निष्पादित किया जाता है, पर शुल्क न्यूनतम १०० रुपये के अध्यधीन रहते हुए पूर्व में संदत्त शुल्क को कम करके इस अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा;
		(घ) जहां किसी अभिकर्ता को स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत करने का मुख्तारनामा किसी हस्तांतरण-पत्र के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित किया गया हो तथा ऐसे मुख्तारनामे के अनुसरण में, मुख्तारनामे के निष्पादक तथा उस व्यक्ति, जिसके पक्ष में इसे निष्पादित किया गया है, के मध्य कोई विक्रय-पत्र निष्पादित किया जाता है, वहां ऐसे विक्रय-पत्र पर शुल्क न्यूनतम १०० रुपये के अध्यधीन रहते हुए, पूर्व में संदत्त शुल्क को कम करके इस अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क देय होगा;
		(ङ) जहां कोई बंधक विलेख अनुच्छेद ३८ के अधीन किसी बंधक के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है, तथा बंधक संपत्ति के विरुद्ध फाईल किये गये किसी वाद के अनुसरण में कोई न्यायालयीन डिक्री निष्पादित की जाती है, वहां ऐसी डिक्री पर देय शुल्क, न्यूनतम १०० रुपये के अध्यधीन रहते हुए, अनुच्छेद ३८ के अधीन ऐसे बंधक विलेख पर पूर्व में संदत्त शुल्क को कम करके इस अनुच्छेद के अधीन देय शुल्क होगा;
		(च) जहां किसी लिखत द्वारा कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति में अपनी पत्नी या पुत्री या पुत्रवधु का नाम पृथकतः या संयुक्ततः सहस्वामी के रूप में सम्मिलित करता है , वहां लागू शुल्क की दर संपत्ति के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत होगी.

(१)	(२)	(३)
	छूट	
	प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, १९५७ (१९५७ का १४) के अधीन प्रतिलिप्याधिकार का समनुदेशन.	
२३.	**प्रति या उद्धरण,** जिसकी बाबत भारतीय साक्ष्य अधिनियम,१८७२ (१८७२ का १) की धारा ७६ के अधीन किसी लोक अधिकारी या उसके आदेश से यह प्रमाणित किया गया है कि वह सही प्रति या उद्धरण है और जो न्यायालय फीस से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रभार्य नहीं है.	दस रुपये.
	छूटें	
	(क) किसी ऐसे कागज-पत्र की प्रतिलिपि जिसके संबंध में किसी लोक अधिकारी से विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह अपेक्षा की गई है कि वह किसी लोक कार्यालय में या लोक प्रयोजन के निमित्त अभिलेख के लिए उसे बनाये या दे;	
	(ख) जन्मों, बपतिस्मों, नामकरणों, समर्पणों, विवाहों, विवाह-विच्छेदों, मृत्युओं या दफन से संबंधित किसी रजिस्टर की या उसमें के किसी उद्धरण की प्रतिलिपि;	
२४.	किसी लिखत का, जो कि शुल्क से प्रभार्य है और जिसके संबंध में उचित शुल्क दे दिया गया है, प्रतिलेख या दूसरी प्रति;	एक सौ रुपये.
	छूटः—	
	कृषकों को दिये गये किसी पट्टे का प्रतिलेख जबकि ऐसा पट्टा शुल्क से छूट प्राप्त हो;	
२५.	**सीमा शुल्क बंध-पत्र या आबकारी बंध-पत्र** अर्थात् तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की उपबंधों के अनुसरण में या सीमा या आबकारी विभाग के किसी अधिकारी के निर्देशों के अनुसरण में या सीमा या आबकारी के किसी शुल्क के संबंध में या उनमें कपट या अपवंचन को रोकने के लिए या उनसे संबंधित किसी अन्य मामले या उससे संबंधित किसी बात के संबंध में दिये गये बंध-पत्र;	एक सौ रुपये
२६.	**माल की बावत् परिदान आदेश,** अर्थात् कोई ऐसी लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति को या उसके समनुदेशितियों या लिखत के धारक को, किसी डाक या पत्तन पर या ऐसे किसी भांडागार में जहां माल का भाटक या भाड़े पर या	दो रुपये

(१)	(२)	(३)
	घाट पर भंडारण संगृहीत या निक्षेप किया जाता है, किसी माल के परिदान के लिये हकदार बनाता है, और ऐसी लिखत उसमें की संपत्ति के विक्रय या अंतरण पर ऐसे माल के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित की गई हो, जबकि ऐसे माल का मूल्य सौ रुपये से अधिक हो;	
२७.	**विवाह-विच्छेद की लिखत,** अर्थात् कोई ऐसी लिखत जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विवाह का विघटन करता है;	दो सौ रुपये.
२८.	**विशेष विवाह अधिनियम,** १९५४ (१९५४ का ४३) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट विवाह प्रमाण-पत्र की रजिस्टर में प्रविष्टि;	पांच रुपये.
२९.	संपत्ति के विनिमय की लिखत;	वही शुल्क जो अधिकतम मूल्य की संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २२) पर जो कि विनिमय की विषय-वस्तु है, पर लगता है.
३०.	**अतिरिक्त भार की लिखत,** अर्थात् कोई ऐसी लिखत जो बंधक संपत्ति पर भार अधिरोपित करती है:—	
(क)	जबकि मूल बंधक अनुच्छेद क्र. ३८ के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये वर्णनों में से किसी एक वर्णन का है, (अर्थात् कब्जे सहित)	वही शुल्क जो ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत किये गये और भार की रकम के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २२) पर लगता है.
(ख)	जबकि ऐसा बंधक अनुच्छेद क्र.३८ के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये विवरणों में से किसी एक वर्णन का है, (अर्थात् कब्जे रहित)	
(एक)	यदि अतिरिक्त भार की लिखत के निष्पादन के समय, संपत्ति का कब्जा ऐसी लिखत के अधीन दे दिया गया है या दिये जाने के लिए करार किया गया है;	वही शुल्क जो भार की (जिसके अंतर्गत मूल बंधक और पहले किया गया कोई अतिरिक्त भार है) कुल रकम के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल के हस्तांतरण-पत्र (क्र.२२) पर लगता है, जिसमें से वह शुल्क जो ऐसे मूल बंधक और अतिरिक्त भार पर संदत्त किया गया है, कम कर दिया जायेगा.
(दो)	यदि कब्जा इस प्रकार नहीं दिया गया हो;	वही शुल्क जो ऐसी लिखत द्वारा प्रतिभूत किये गये अतिरिक्त भार की रकम के बंध पत्र (क्र. १२) पर लगता है.
३१.	**दान की लिखत,** जो व्यवस्थापन (क्र. ५२) या वसीयत या अंतरण (क्र. ५६) नहीं है;	वही शुल्क जो उस संपत्ति के जो दान की विषय-वस्तु है, के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २२) पर लगता है.
३२.	क्षतिपूर्ति बंध-पत्र;	वही शुल्क जो उतनी ही रकम के प्रतिभूति-पत्र (क्र. ५१) पर लगता है.

(१)	(२)	(३)
३३.	पट्टा, जिसके अंतर्गत अवर-पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप-पट्टे पर देने या किसी पट्टे का नवीनीकरण करने के लिये कोई करार है:—	
	(क) जहां कि ऐसे पट्टे द्वारा भाटक नियत किया गया है और कोई प्रीमियम नहीं दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है:—	
	(एक) जहां कि पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिए तात्पर्यित है;	वही शुल्क जो ऐसे बंध-पत्र (क्र. १२) पर ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय पूरी रकम के लिए लगता है.
	(दो) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है, जो एक वर्ष से कम नहीं है, किन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं है;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम के बंध-पत्र (क्र. १२) पर लगता है.
	(तीन) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है, जो पांच वर्ष से अधिक है, किन्तु दस वर्ष से अधिक नहीं है;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के डेढ़ गुने के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २२) पर लगता है.
	(चार) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है, जो दस वर्ष से अधिक है, किन्तु बीस वर्ष से अधिक नहीं है;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २२) पर लगता है.
	(पांच) जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए तात्पर्यित है, जो बीस वर्ष से अधिक है, किन्तु तीस वर्ष से अधिक नहीं है;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक भाटक की रकम या बाजार मूल्य के पांच गुने के बराबर के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २२) पर लगता है.
	(छह) जहां कि पट्टा ऐसी कालावधि के लिए तात्पर्यित है, जो तीस वर्ष से अधिक है या शाश्वतिक है या निश्चित कालावधि के लिए तात्पर्यित नहीं है;	वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के बराबर रकम के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २२) पर लगता है;
	(ख) जहां कि पट्टा किसी जुर्माने या प्रीमियम के लिए या अग्रिम दिये गये धन के लिए या दिये जाने वाले अग्रिम के लिये मंजूर किया गया है और जहां कि कोई भाटक नियत नहीं है;	वही शुल्क जो ऐसे जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम की रकम या मूल्य, जो पट्टे में उपवर्णित है, के बराबर बाजार मूल्य वाले हस्तांतरण-पत्र (क्र. २२) पर लगता है: परन्तु जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित है, जो तीस वर्ष से अधिक है या शाश्वतिक हो या निश्चित कालावधि के लिये तात्पर्यित नहीं किया गया हो, वहां ऐसे पट्टे पर वही शुल्क प्रभार्य होगा जो पट्टे पर दी गई संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २२) पर लगता है.
	(ग) जहां कि पट्टा किसी नियत किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम धन के लिये या दिये जाने वाले अग्रिम के लिये मंजूर किया गया है.	वही शुल्क जो ऐसे जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम की रकम या मूल्य, जो पट्टे में उपवर्णित है, के बराबर बाजार मूल्य वाले हस्तांतरण-पत्र (क्र. २२) पर लगता है, और जो उस

(१)	(२)	(३)

शुल्क के अतिरिक्त होगा जो उस दशा में, जिसमें कि कोई जुर्माना, या प्रीमियम या अग्रिम नहीं दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है, ऐसे पट्टे पर देय होता :

परन्तु जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित है, जो तीस वर्ष से अधिक है या शाश्वतिक हो या निश्चित कालावधि के लिये तात्पर्यित नहीं हो, तो ऐसे पट्टे पर वही शुल्क प्रभार्य होगा जो पट्टे पर दी गई संपत्ति के बाजार मूल्य वाले हस्तांतरण-पत्र (क्र. २२) पर लगता है:

परन्तु यह भी कि —

(क) जब कोई पट्टा करने के करार की लिखत किसी पट्टे के लिए अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात् निष्पादित किया गया है, तब ऐसे पट्टे पर शुल्क एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगा;

(ख) जहां किसी पट्टे के संबंध में किसी सिविल न्यायालय की कोई डिक्री या अंतिम आदेश किसी पट्टे के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार शुल्क से स्टाम्पित है और पट्टे की लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है, तो वहां न्यूनतम एक सौ रुपये के अध्यधीन रहते हुये ऐसे पट्टा विलेख पर पूर्व में संदत्त शुल्क को कम करके इस अनुच्छेद के अधीन शुल्क देय होगा;

(ग) पट्टे के किसी करार में जहां निर्माण, प्रवर्तन और अंतरण (बी. ओ. टी.) स्कीम के अधीन सड़क, पुल आदि के निर्माण में पट्टेदार द्वारा खर्च की गई रकम के बदले में पथकर संग्रह का अधिकार दिया गया है, जहां ऐसा करार पट्टेदार द्वारा करार के अधीन संभाव्य खर्च किये जाने वाली रकम के दो प्रतिशत की दर से प्रभार्य होगा.

स्पष्टीकरण—जबकि पट्टेदार किसी आवर्ती प्रभार जैसे कि सरकारी राजस्व, भू-स्वामी के उपकरों का अंश (शेयर) या नगरपालिक दरों या करों में स्वामी का अंश (शेयर) जो कि पट्टाकर्ता से विधि द्वारा वसूलीय हो, के चुकाने का जिम्मा लेता हो, तो वह रकम, जिसके कि, पट्टेदार द्वारा चुकाये जाने का इस प्रकार करार किया गया हो, भाटक का भाग समझी जायेगी.

छूट

खेतिहर की दशा में तथा खेती करने के प्रयोजनों के लिए पट्टा (जिसके अंतर्गत खाद्य या पेय के उत्पादन के लिए वृक्षों का

(१)	(२)	(३)
	पट्टा है), जो कोई जुर्माना या प्रीमियम दिये बिना या परिदत्त किये बिना निष्पादित किया गया है, और जबकि कोई निश्चित अवधि अभिव्यक्त की गई है और ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं है, या जबकि आरक्षित किया गया औसत वार्षिक भाटक एक सौ रुपये से अधिक नहीं है.	
३४.	**शेयरों का आवंटन-पत्र,** जो किसी कंपनी या प्रस्थापित कंपनी में या किसी कंपनी या प्रस्थापित कंपनी द्वारा लिये जाने वाले किसी उधार की बावत् है;	दो रुपये.
३५.	प्रत्याभूति-पत्र,	दो सौ पचास रुपये.
३६.	अनुज्ञप्ति-पत्र, अर्थात् ऋणी तथा उसके लेनेदारों के बीच इस बात का कोई करार कि लेनदार विनिर्दिष्ट समय के लिए अपने दावों को निलंबित कर देंगे और ऋणी को स्वयं अपने विवेकानुसार कारबार चलाने देंगे;	पांच सौ रुपये.
३७.	**कंपनी का संगम-ज्ञापन**—	
(क)	यदि उसके साथ कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) की धारा २६ के अधीन संगम-अनुच्छेद संलग्न हो;	पांच सौ रुपये.
(ख)	यदि उसके साथ उपर्युक्त संलग्न न हो;	कंपनी की शेयर पूंजी के अनुसार वही शुल्क जो अनुच्छेद १० के अधीन संगम-अनुच्छेद पर प्रभार्य है.
	छूट	
	किसी संगम का ज्ञापन जो लाभ के लिए नहीं बनाया गया है और कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १) की धारा २५ के अधीन रजिस्ट्रीकृत है.	
३८.	**बंधक विलेख,** जो हक विलेखों के निक्षेप, पण्यम या गिरवी या आडमान (क्र. ६) पोत बंध-पत्र (क्र. १३) फसल का बंधक (क्र. ३९) जहाजी माल बंध-पत्र (क्र. ५०) या प्रतिभूति बंध-पत्र (क्र. ५१) से संबंधित करार नहीं है:—	
	(क) जबकि ऐसे विलेख में समाविष्ट संपत्ति या संपत्ति के किसी भाग का कब्जा बंधककर्ता द्वारा दे दिया गया है, या दिये जाने के लिए करार किया गया है;	वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र.२२) पर लगता है.

(१)	(२)	(३)
	(ख) जबकि यथापूर्वोक्त कब्जा नहीं दिया गया है या दिये जाने के लिए करार नहीं किया गया है;	वही शुल्क जो ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के बंध-पत्र (क्र.१२) पर लगता है.
	स्पष्टीकरण—ऐसे बंधक के बारे में, जो बंधकदार द्वारा बंधकित संपत्ति या उसके भाग के भाटक का संग्रहण करने के लिए मुख्तारनामा देता है, यह समझा जायेगा कि वह उस अनुच्छेद के अर्थ के अंतर्गत कब्जा दे देता है.	
	(ग) जबकि कोई सांपार्श्विक या सहायक या अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिभूति है, या उपरोक्त वर्णित प्रयोजन के लिए और आश्वासन के रूप में है, जहां कि मूल या प्राथमिक प्रतिभूति सम्यक् रूप से स्टाम्पित है;	एक सौ रुपये.
	छूट	
	वे लिखतें, जो भूमि विकास उधार अधिनियम, १८८३ (१८८३ का १९) या कृषक उधार अधिनियम, १८८४ (१८८४ का १२) के अधीन उधार लेने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे अग्रिमों के चुकाने के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित की गई है.	
३९.	**फसल का बंधक,** जिसके अंतर्गत कोई ऐसी लिखत है, जो फसल के किसी बंधक पर दिये गये उधार के प्रतिदाय की प्रतिभूत करने के लिए किसी करार को साक्ष्यित करती है, चाहे बंधक के समय फसल अस्तित्व में हो या न हो;	दो रुपये.
४०.	**नोटरी संबंधी कार्य,** अर्थात् कोई ऐसी लिखत, पृष्ठांकन, टिप्पण, अनुप्रमाणन, प्रमाण-पत्र या प्रविष्टि, जो प्रसाक्ष्य (क्र. ४६) नहीं है और जो पब्लिक नोटरी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पब्लिक नोटरी के रूप में विधि पूर्वक कार्य करते हुए निष्पादित की गई है.	दस रुपये
४१.	**टिप्पण या ज्ञापन,** जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लेखे निम्नलिखित के क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए भेजा गया है :—	
	(क) ऐसे किसी माल का, जो एक सौ रुपये से अधिक मूल्य का है;	दो रुपये
	(ख) ऐसे किसी शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बंध-पत्र, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक या किसी प्रकार के अन्य विपण्य प्रतिभूति का, जो एक सौ रुपये से अधिक मूल्य का है, जो सरकारी प्रतिभूति न हो;	यथास्थिति, उनके क्रय या विक्रय के समय प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक दस हजार या उसके भाग के लिये एक रुपया.

(१)	(२)	(३)
(ग)	ऐसे किसी सरकारी प्रतिभूति का;	यथास्थिति, उनके क्रय या विक्रय के समय प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक दस हजार या उसके भाग के लिये अधिकतम एक हजार रुपये के अध्यधीन, एक रुपया.

छूट

टिप्पण या ज्ञापन जो दलाल या अभिकर्ता द्वारा अपने मालिक को, ऐसे मालिक के लेखे या किसी सरकारी प्रतिभूति या किसी शेयर स्क्रिप, स्टाक, बंध-पत्र, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टाक या इसी प्रकार के अन्य विपण्य प्रतिभूति या किसी निगमित कंपनी के या अन्य निगमित निकाय के क्रय या विक्रय की प्रज्ञापना देते हुए, जो अपेक्षित है उनसे संबंधित प्रविष्टि, अनुच्छेद २० के खण्ड (क) तथा (ख) में वर्णित समाशोधन सूची में बनायी जाकर भेजी गई हो.

४२. पोत के मास्टर द्वारा आपत्ति का टिप्पण; — दस रुपये.

४३. विभाजन की लिखत— वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के पृथक् किये गये अंश या अंशों के मूल्य की रकम के बंध-पत्र (क्र. १२) पर लगता है;

टिप्पण:—संपत्ति विभाजित किये जाने के पश्चात् बच रहे सबसे बड़े अंश को (या यदि दो या अधिक समान मूल्य के अंश है जो अन्य अंशों में से किसी भी अंश से छोटे नहीं है तो ऐसे समान अंशों में से एक अंश को) ऐसा अंश समझा जायेगा जिससे अन्य अंश पृथक् कर दिये गये हैं;

परन्तु—

(क) जबकि विभाजन की कोई ऐसी लिखत निष्पादित की गई है जिसमें संपत्ति को पृथक्-पृथक् विभक्त करने का करार है और ऐसे करार के अनुसरण में विभाजन कर दिया गया है, तब ऐसा विभाजन प्रभावी करने वाली लिखत पर प्रभार्य शुल्क में से प्रथम लिखत की बाबत चुकाए गये शुल्क की रकम कम कर दी जायेगी, किन्तु वह एक सौ रुपये से कम नहीं होगा;

(ख) जहां केवल कृषि भूमि के विभाजन से संबंधित लिखत है, वहां शुल्क के प्रयोजन के लिए बाजार मूल्य वार्षिक भू-राजस्व के सौ गुना से संगणित किया जायेगा;

(ग) जहां कि किसी राजस्व प्राधिकारी या सिविल न्यायालय द्वारा विभाजन का पारित अंतिम आदेश, या विभाजन करने का निर्देश देते हुए मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट, विभाजन की किसी लिखत के लिए अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित किया गया है, और ऐसे आदेश या पंचाट के अनुसरण में विभाजन की लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगा.

(१)	(२)	(३)
४४.	**भागीदारी—**	
	क. भागीदारी की लिखत—	
	(क) जहां भागीदारी में कोई अभिदाय के शेयर नहीं है या जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रुपये पचास हजार से अधिक नहीं है;	एक हजार रुपये.
	(ख) जहां ऐसे अभिदाय के शेयर रुपये पचास हजार से अधिक है;	अधिकतम पांच हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए अभिदत्त शेयरों का दो प्रतिशत.
	ख. भागीदारी का विघटन या भागीदारी की सेवानिवृत्ति—	
	(क) जहां भागीदारी का विघटन होने पर या किसी भागीदार के सेवानिवृत्ति होने पर कोई स्थावर संपत्ति ऐसे भागीदार जो कि उस संपत्ति को अपने अभिदाय के शेयर के रूप में लाया था, से भिन्न किसी भागीदार द्वारा अपने शेयर के रूप में ली जाती है;	वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के (वाले) हस्तांतरण-पत्र (क्र. २२) पर लगता है.
	(ख) किसी अन्य मामले में;	दो सौ पचास रुपये.
४५.	मुख्तारनामा, धारा २ (२१) द्वारा यथा-परिभाषित जो परोक्षी नहीं है :—	
	(क) जबकि वह एक या अधिक व्यक्तियों को, एक ही संव्यवहार में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है जिसमें एक ही संव्यवहार से संबंधित एक या अधिक दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण उपाप्त करने के लिये या ऐसे एक या अधिक दस्तावेजों का निष्पादन स्वीकृत करने के लिये निष्पादित किया गया मुख्तारनामा भी सम्मिलित है;	पचास रुपये.
	(ख) जबकि वह एक व्यक्ति को एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिये या दस से अनधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः या पृथकतः एक से अधिक संव्यवहारों में या साधारणतः कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है;	एक सौ रुपये.
	(ग) जबकि वह प्रतिफल के लिए दिया गया है तथा अभिकर्ता को किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत करता है;	वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २२) पर लगता है.

(१)	(२)	(३)
	(घ) जबकि वह प्रतिफल के बिना दिया गया है और अभिकर्ता को मध्यप्रदेश में स्थित किसी स्थावर संपत्ति के विक्रय, दान, विनिमय अथवा स्थायी रूप से अन्यसंक्रांत करने के लिये प्राधिकृत करता है :—	
	(एक) दूसरे निष्पादन की तारीख से एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिये;	एक सौ रुपये.
	(दो) इसके निष्पादन की तारीख से एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिये या जबकि वह अप्रतिसंहरणीय हो, या जबकि वह किसी निश्चित अवधि के लिये तात्पर्यित न हो;	वही शुल्क जो संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २२) पर लगता है.
	(ङ) अन्य किसी मामले में;	प्राधिकृत किये गये प्रति व्यक्ति के लिए पचास रुपये.

स्पष्टीकरण १—एक से अधिक व्यक्तियों की बावत् उस दशा में, जिसमें कि वे एक ही फर्म के है, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायेगा कि वे एक ही व्यक्ति है;

स्पष्टीकरण २—रजिस्ट्रीकरण पद के अंतर्गत ऐसी प्रत्येक क्रिया आती है, जो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) के अधीन रजिस्ट्रीकरण से आनुषंगिक है;

४६.	**विनिमय-पत्र या वचन-पत्र** विषयक, प्रसाक्ष्य, अर्थात् नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधि-पूर्वक करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में की गई ऐसी घोषणा, जो विनिमय-पत्र या वचन-पत्र को अनादर करने का अनुप्रमाणन करती है;	दस रुपये.
४७.	**पोत के मास्टर, द्वारा आपत्ति,** अर्थात् पोत की यात्रा के विवरणों का ऐसा घोषणा-पत्र, जो हानियों का समायोजन करने या औसतों का परिकलन करने की दृष्टि से उसके द्वारा लिखा गया है और पोत को भाड़े की संविदा पर लेने वालों या परेषितियों द्वारा पोत पर माल न लादने या पोत से माल न उतारने के लिये उस द्वारा उनके विरुद्ध लिखित रूप में की गई घोषणा जबकि ऐसा घोषणा-पत्र नोटरी पब्लिक या उस हैसियत में विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित या प्रमाणित किया गया है;	दस रुपये.
४८.	बंधकित संपत्ति का प्रतिहस्तांतरण;	दो सौ रुपये.

(१)	(२)	(३)
४९.	**निर्मुक्ति** अर्थात् कोई लिखत, (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिये धारा २३-क द्वारा उपबंध किया गया है) जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर दावे का या किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर दावे का त्याग कर देता है;	वही शुल्क जो संपत्ति के उस शेयर पर जिस पर कि दावे का त्याग किया गया है, के प्रतिफल या बाजार मूल्य जो भी उच्चतर हो, के बंध-पत्र (क्र. १२) पर लगता है.
५०.	**जहाजी माल बंध-पत्र** अर्थात् कोई लिखत जो उस उधार के लिये प्रतिभूति देती है जो किसी पोत के फलक पर लादे गये या लादे जाने वाले स्थोरा पर लिया गया है और जिसकी अदायगी स्थोरा के गंतव्य पत्तन पर पहुंचने पर समापित है;	वही शुल्क जो प्रतिभूत किये गये उधार की रकम के बंध-पत्र (क्र. १२) पर लगता है.
५१.	**प्रतिभूति बंध-पत्र या बंधक विलेख,** जहां ऐसा प्रतिभूति बंध-पत्र या बंधक विलेख किन्ही पदीय कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया गया है या जो उसके आधार पर प्राप्त धनराशि या अन्य संपत्ति का लेखा-जोखा देने के लिए निष्पादित किया गया है किसी संविदा का सम्यक् पालन सुनिश्चित करने के लिये या किसी न्यायालय या लोक अधिकारी के किसी आदेश के अनुसरण में जो न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का ७) द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो प्रतिभू द्वारा निष्पादित किया गया है;	दो सौ पचास रुपये.

छूटें

बंध-पत्र या अन्य लिखत जबकि वह निष्पादित किया जाये :—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रत्याभूति देने के प्रयोजनार्थ कि किसी खैराती औषधालय या अस्पताल या लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्‌देश्य के लिये दिये गये प्राईवेट चंदों से व्युत्पन्न स्थानीय आय प्रतिमास विनिर्दिष्ट राशि से कम नहीं होगी ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने भूमि विकास उधार अधिनियम, १८८३ (१८८३ का १९) या कृषक उधार अधिनियम, १८८४ (१८८४ का १२) के अधीन अग्रिम धन लिये है, या उनके प्रतिभूओं द्वारा ऐसे अग्रिम धन के चुका दिये जाने के लिये प्रतिभूति के रूप में;

(ग) सरकार के अधिकारियों द्वारा या उनके प्रतिभूतियों द्वारा किसी पद के कर्तव्यों के सम्यक् निष्पादन को या उनके अपने पद के आधार पर प्राप्त धनराशि या अन्य संपत्ति का सम्यक् रूप से लेखा देने को सुनिश्चित करने के लिये.

(१)	(२)	(३)
५२.	**व्यवस्थापन :–**	
	(क) व्यवस्थापन की लिखत (जिसके अंतर्गत महर विलेख है)	वही शुल्क जो व्यवस्थापित संपत्ति के बाजार मूल्य की राशि के बंध-पत्र (सं. १२) पर लगता है: परन्तु जहां कि व्यवस्थापन के लिए करार व्यवस्थापन की लिखत के लिये अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है और ऐसे करार के अनुसरण में व्यवस्थापन संबंधी लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है, वहां ऐसी लिखत पर शुल्क एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगा.
	छूट विवाह के अवसर पर मुसलमानों के बीच निष्पादित किया गया महर विलेख चाहे ऐसा विलेख विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात् निष्पादित किया गया हो;	
	(ख) व्यवस्थापन का प्रतिसंहरण;	एक सौ रुपये.
५३.	**शेयर वारंट** वाहक के लिये कंपनी अधिनियम,१९५६ (१९५६ का १) के अधीन निर्गमित;	वारंट में विनिर्दिष्ट शेयरों की अभिहित रकम के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २२) पर संदेय शुल्क का डेढ़ गुना शुल्क.
	छूट शेयर वारंट, जबकि वह किसी कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम,१९५६ (१९५६ का १)की धारा ११४ के अनुसरण में निर्गमित किया गया है, स्टाम्प राजस्व कलक्टर को उस शुल्क के लिये प्रशमन-धन के रूप में निम्नलिखित की अदायगी कर दी जाने पर प्रभावी होगा— (क) कंपनी की पूरी प्रतिश्रुत पूंजी का डेढ़ प्रतिशत, या (ख) यदि कोई कंपनी जिसने उक्त शुल्क या प्रशमन-धन पूर्णत: चुका दिया है, अपनी प्रतिश्रुत पूंजी में अतिरिक्त वृद्धि निर्गमित करता है, तो इस प्रकार निर्गमित अतिरिक्त पूंजी का डेढ़ प्रतिशत.	
५४.	**पोत द्वारा भेजने के आदेश**, जो किसी जलयान के फलक पर माल का प्रवहण करने के लिये या माल का प्रवहण करने से संबंधित हो,	दो रुपये.
५५.	**पट्टे का अभ्यर्पण;**	एक सौ रुपये.

(१)	(२)	(३)
	छूट	
	पट्टे का अभ्यर्पण जब कि ऐसे पट्टे को शुल्क से छूट दी गई है;	
५६.	**अंतरण—**	
	(क) धारा ८ द्वारा उपबंधित डिबेंचरों के सिवाय डिबेंचरों, जो विपण्य प्रतिभूतियां है, चाहे शुल्क के लिये डिबेंचर दायी हो या न हो;	डिबेंचरों की प्रतिफल रकम के प्रत्येक सौ रूपये या उसके भाग के लिये पचास पैसे.
	(ख) बंध-पत्र, बंधक-विलेख या बीमा पालिसी द्वारा प्रतिभूत किसी हित का;	अधिकतम एक सौ रुपये के अध्यधीन रहते हुए, वही शुल्क जो हित की ऐसी रकम या मूल्य के बंध-पत्र (क्र. १२) पर लगता है.
	(ग) महाप्रशासक अधिनियम, १९६३ (१९६३ का ४५) के अधीन किसी संपत्ति का;	एक सौ रुपये.
	(घ) एक न्यासी से दूसरे न्यासी को या एक न्यासी से हिताधिकारी को किसी न्यास-संपत्ति का प्रतिफल के बिना;	दो सौ रुपये.
	छूट	
	पृष्ठांकन द्वारा अंतरण:—	
	(क) जो विनिमय-पत्र, चैक या वचन-पत्र का;	
	(ख) वहन-पत्र, परिदान आदेश, माल के लिये वारंट या माल पर हक की अन्य वाणिज्यिक दस्तावेज का;	
	(ग) बीमा पालिसी का;	
	(घ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का;	
५७.	**पट्टे का अंतरण**, समनुदेशन द्वारा न कि उप पट्टे द्वारा;	वही शुल्क जो उस संपत्ति के जो अंतरण की विषय-वस्तु है, के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्र. २२) पर लगता है. **स्पष्टीकरण**—किसी खनन पट्टे के समनुदेशन की दशा में बाजार में मूल्य समानुदेशित पट्टे की कालावधि का ध्यान रखते हुए अनुच्छेद ३३ (क) के अधीन संगणित की गई रकम या मूल्य के बराबर होगा.

(१)	(२)	(३)
	छूट	
	शुल्क से छूट प्राप्त किसी पट्टे का अंतरण;	
५८.	**न्यास :–**	
	क—की घोषणा—	
	किसी संपत्ति की या उसके बारे में जब कि वसीयत से भिन्न लिखित रूप में की गई हो—	
	(क) जहां संपत्ति का व्ययन हो;	वही शुल्क जो व्यवस्थापित संपत्ति के बाजार मूल्य के बंध-पत्र (क्र. १२) पर लगता है.
	(ख) किसी अन्य मामले में;	पांच सौ रुपये.
	ख—का प्रतिसंहरण—	
	किसी संपत्ति का या उसके बारे में जबकि वह वसीयत से भिन्न किसी लिखत के रूप में किया गया हो;	दो सौ पचास रुपये
५९.	**माल के लिये वारंट,** अर्थात् ऐसी कोई लिखत, जो उसमें नामित किसी व्यक्ति के या उसके समनुदेशितियों के या उसके धारक के उस माल में की संपत्ति के हक का साक्ष्य है जो किसी डाक, भण्डागार या बाट में उस पर पड़े है, जबकि ऐसी लिखत ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसकी अभिरक्षा में ऐसा माल है, हस्ताक्षरित या प्रमाणित की गई है;	दो रुपये.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.